

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक:- एफ 11(95 अ)एफसीए/मुवस/2023/ 3046

दिनांक:- 08/08/2023

निमित्त,

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- Diversion of 4.9696 ha. forest land for Development of Bewar Masuda- Goyala Road,
Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan.
FP/RJ/ROAD/21332/2016

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 6002 दिनांक 16.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 में सन्दर्भित पत्र से आपके कार्यालय द्वारा आक्षेप लगाये गये थे, जिनके क्रम में उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 6291 दिनांक 25.07.2023 द्वारा आक्षेप की निम्नानुसार बिन्दुवार पूर्ति कर प्रकरण इस कार्यालय को अग्रेषित किया है जो अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है:-

क्र.स.	उच्च कार्यालय द्वारा आक्षेप	आक्षेप पूर्ति मय जवाब
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।	क्षति पूर्ति वृक्षारोपण योजना गैर वन भूमि हेतु निर्धारित मॉडन अनुसार तैयार कर संलग्न प्रेषित है।
2	यूजर ऐजेन्सी के पत्रानुसार प्रस्तावित प्रकरण वर्तमान 7 मीटर रोड़ में रिन्यूबल एवं ओवर ले का कार्य किया जाना है। प्रस्ताव में वर्तमान रोड़ की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्मिलित है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
3	मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा के आधार पर वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सड़क के दोनों ओर दीवार निर्माण किया प्रस्तावित है इस हेतु यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न नहीं है। 6 फीट ऊंची दीवार से वन्यजीवों के आवागमन बाधित होता है इस हेतु 6 फीट उंची दीवार लिये जाने के आधार स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दीवार निर्माण के संबंध में वचनबद्धता ऑनलाईन संलग्न कर दी गई है। वन्यजीवों को सड़क दुर्घटना से बचाने हेतु 6 फीट की दीवार का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
4	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की के0एम0एल0 फाईल में पुराने वृक्षारोपण की दीवार नजर आती है जबकि उक्त भूमि वन क्षेत्र से दूर है।	प्रस्तावित गैर वन भूमि के अतिरिक्त निकट में वन क्षेत्र की ओर अन्य गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग को हुआ है जो कि वनखण्ड की सीमा से लगते हुए है। इस कारण प्रकरण की भूमि वन क्षेत्र से दूर दिखाई दे रही है।
5	एन.पी.वी. गणना रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	एन.पी.वी. गणना रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
6	प्रस्ताव के पार्ट 1 में तीन प्रकरण दर्शाये गये हैं जिनमें दो प्रकरण विदग्ध किये जा चुके एवं 1 प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अघटन स्थिति अंकित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

7	प्रस्ताव के साथ संलग्न के0एम0एल0 का एलायमेंट सड़क के किनारे पर बनी दीवार निर्माण कार्य पर आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या दीवार को तोड़ा जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं। यदि तोड़ा जाना है तो उप वन संरक्षक द्वारा नुकसान की राशि अधिरोपित करे। यदि नहीं तो उप वन संरक्षक द्वारा दीवार निर्माण दोनो ओर क्यों प्रस्तावित की गयी है जबकि एक ओर दीवार उपलब्ध है।	एक ओर उपलब्ध दीवार जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से दोनो ओर नवीन दीवार वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु प्रस्ताव की गई है।
8	प्रस्तावित वन भूमि एवं डिजीटल सीमाओं में अंतर है। प्रस्ताव को राजस्व मेप पर अंकित किया जाकर वन भूमि की जमाबंदी संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
9	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन संलग्न की गई है।
10	प्रस्ताव की 2 हार्ड प्रति प्राप्त नहीं है।	इस कार्यालय के पत्रांक 1539 दिनांक 02.05.2023 द्वारा उक्त प्रकरण में तीन प्रतियां पूर्व में प्रेषित की जा चुकी हैं। तथा आक्षेप के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई हार्ड प्रति संलग्न नहीं की गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार मूल प्रस्ताव 3 हार्ड कॉपी में।

भवदीय
(एस.पी. सिंह) 21/5/23
मुख्य वन संरक्षक,

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcfajmer forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक:-एफ18(59)एफसीए/उवसं/2023-24/ 6291 दिनांक :- 25/07/23

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Development of Beawar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. में प्रस्तावित स्थल के मौका निरीक्षण बाबत।

संदर्भ:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर पृष्ठांकित पत्रांक 6003-04 दिनांक 16.05.2023 एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित प्रकरण दिनांक 06.07.2023 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा उच्च कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति निम्नानुसार संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र. सं.	उच्च कार्यालय द्वारा आक्षेप	आक्षेप पूर्ति मय जवाब
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।	क्षति पूर्ति वृक्षारोपण योजना गैर वन भूमि हेतु निर्धारित मॉडल अनुसार तैयार कर संलग्न प्रेषित है।
2	यूजर ऐजेन्सी के पत्रानुसार प्रस्तावित प्रकरण वर्तमान 7 मीटर रोड़ में रिन्यूबल एवं ओवर ले का कार्य किया जाना है। प्रस्ताव में वर्तमान रोड़ की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्मिलित है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
3	मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा के आधार पर वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सड़क के दोनों ओर दीवार निर्माण किया प्रस्तावित है इस हेतु यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न नहीं है। 6 फीट ऊंची दीवार से वन्यजीवों के आवागमन बाधित होता है इस हेतु 6 फीट उंची दीवार लिये जाने के आधार स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दीवार निर्माण के संबंध में वचनबद्धता ऑनलाईन संलग्न कर दी गई है। वन्यजीवों को सड़क दुर्घटना से बचाने हेतु 6 फीट की दीवार का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
4	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की के0एम0एल0 फाईल में पुराने वृक्षारोपण की दीवार नजर आती है जबकि उक्त भूमि वन क्षेत्र से दूर है।	प्रस्तावित गैर वन भूमि के अतिरिक्त निकट में वन क्षेत्र की ओर अन्य गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग को हुआ है जो कि वनखण्ड की सीमा से लगते हुए है। इस कारण प्रकरण की भूमि वन क्षेत्र से दूर दिखाई दे रही है।
5	एन.पी.वी. गणना रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	एन.पी.वी. गणना रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
6	प्रस्ताव के पार्ट 1 में तीन प्रकरण दर्शाये गये हैं जिनमें दो प्रकरण विदग्ध किये जा चुके एवं 1 प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अद्यतन स्थिति अंकित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
7	प्रस्ताव के साथ संलग्न के0एम0एल0 का एलायमेंट सड़क के किनारे पर बनी दीवार निर्माण कार्य पर आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या दीवार को तोड़ा जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं। यदि तोड़ा जाना है तो उप वन संरक्षक द्वारा नुकसान की राशि अधिरोपित करें। यदि नहीं तो उप वन संरक्षक द्वारा	एक ओर उपलब्ध दीवार जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से दोनों ओर नवीन दीवार वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु प्रस्ताव की गई है।

	दीवार निर्माण दोनो ओर क्यो प्रस्तावित की गयी है जबकि एक ओर दीवार उपलब्ध है।	
8	प्रस्तावित वन भूमि एवं डिजीटल सीमाओ में अंतर है। प्रस्ताव को राजस्व मेप पर अंकित किया जाकर वन भूमि की जमाबंदी संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का जवाब ऑनलाईन संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
9	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन संलग्न की गई है।
10	प्रस्ताव की 2 हार्ड प्रति प्राप्त नहीं है।	इस कार्यालय द्वारा तीन प्रति संलग्न कर पूर्व मे श्रीमान् को प्रेषित की गई है।

रिपोर्ट श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

 (अजय मिस्त्रीड़ा)
 उप वन संरक्षक
 अजमेर

क्रमांक:-एफ18(59)एफसीए/उवसं/2023-24/

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :-

/
 उप वन संरक्षक
 अजमेर

क्रमांक:- 84

दिनांक:- 30.06.2023

सेवामें,

उपवन वन संरक्षक,

अजमेर, राजस्थान।

विषय:- Development of Bewar Masuda-Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72,400, in the state of Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/ROAD/21332/2022).

संदर्भ:- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ सी ए, जयपुर राज का पत्र क्रमांक: एफ. 14 () 2016/एफसीए/प्रमुवसं./6002 दिनांक: 16.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में जरिए पत्र क्रमांक: एफ. 14() 2016/एफसीए/प्रमुवसं./6002 दिनांक: 16.05.2023 को आक्षेप लगाए थे, जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	आक्षेप	पालना
1.	क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।	आपके कार्यालय से संबंधित है।
2.	यूजर एजेंसी के पत्रानुसार प्रस्तावित प्रकरण वर्तमान 7 मीटर रोड में रिन्यूबल एवं ओवर ले का कार्य किया जाना है। प्रस्ताव में वर्तमान रोड की चौड़ाई बढ़ाया जाना सम्मिलित है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है।	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मौजूद सडक की चौड़ाई बढ़ाने हेतु प्रेषित किया गया है जिसका आर.ओ.डब्लु 16 मीटर है। प्रस्तावित रोड का क्रास सेक्सन संलग्न है।
3.	मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा के आधार पर वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सडक के दोनों ओर दीवार निर्माण किया प्रस्तावित है इस हेतु यूजर एजेंसी की वचनबद्धता संलग्न नहीं है। 6 फीट ऊंची दीवार से वन्यजीवों के आवागमन बाधित होता है इस हेतु 6 फीट ऊंची दीवार लिये जाने के आधार स्पष्ट करें।	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि वन विभाग के नियमों के अनुरूप अधिरोपित शर्तों के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तों का पालन किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमती है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4.	प्रस्तावित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना की के0एम0एल0 फाइल में पुराने वृक्षारोपण की दीवार नजर आती है जबकि उक्त भूमि वन क्षेत्र से दूर है।	उक्त क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा वन विभाग में कर मयुटेशन कर दिया गया है।
5.	एन0पी0वी0 गणना रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	आपके कार्यालय से संबंधित है।
6.	प्रस्ताव के पार्ट 1 में तीन प्रकरण दर्शाये गये हैं जिनमें दो प्रकरण विदग्ध किये जा चुके एवं 1 प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अद्यतन स्थिति अंकित करें।	उक्त बिन्दु की पालना में अवगत करवाना है। कि परिवेष पोर्टल में अध्यतन स्थिती को संशोधन करने का कोई भी विकल्प नही होने के कारण इस में बदलाव नही किया जा सकता।
7.	प्रस्ताव के साथ संलग्न के0एम0एल0 का एलायमेंट सडक के किनारे पर बनी दीवार निर्माण कार्य पर आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या दीवार का ताडा जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं। यदि	आपके कार्यालय से संबंधित है।

	तोड जाना है तो उप वन संरक्षक द्वारा नुकसान की राशि अधिरोपित करें। यदि नहीं तो उप वन संरक्षक द्वारा दीवार निर्माण दोनों ओर क्यों प्रस्तावित की गयी है जबकि एक ओर दीवार उपलब्ध है।	
8.	प्रस्तावित वन भूमि एवं डिजीटल सीमाओं में अंतर है। प्रस्ताव को राजस्व मैप पर अंकित किया जाकर वन भूमि की जमाबंदी संलग्न की जावे।	उक्त बिन्दु की पालना में प्रस्ताव को राजस्व मैप पर अंकित कर दिया गया है। राजस्व मैप व जमाबंदी संलग्न कर दी गई है।
9.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
10	प्रस्ताव की 2 हार्ड प्रति प्राप्त नहीं है।	प्रस्ताव की 2 हार्ड प्रति संलग्न कर दी गई है।

Place : Ajmer
Date : 30/06/2023


 Signature of Jyoti Raj
 (जीवराज रेणर)
 with Office Seal
परियोजना निदेशक,
(पीपीपी) सा.नि.वि. अजमेर

Full Title of the Project : " Development of Bewar Masuda-Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72,400, in the state of Rajasthan ".

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21332/2016

Date of Proposal : 09.09.2016

वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना निदेशक (पी. पी. पी) सा. नि. वि. अजमेर प्रयोक्ता अभिकरण शपथ पुर्वक बयान करता हु कि उक्त वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में दिवार निर्माण एवं अन्य कोई भी संबन्धित शर्तें राजस्थान सरकार वन विभाग/वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित कि जाती है तो उक्त सभी शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुर्ण कि जावेगी एवं आवश्यक घनराशी भी मांग पत्र अनुसार जमा कि जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पुर्णतया सहमती है।

Place: Ajmer

Date: 30.06.2023


Signature of User Agency
(जीवराज रेगर)
Office Seal
परियोजना निदेशक,
(पीपीपी) सा.नि.वि. अजमेर

कार्यालय परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर

क्रमांक : 401

दिनांक : 10/11/22

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Development of Beawar Masuda Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72+400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. में प्रस्तावित स्थल के मौका निरीक्षण बाबत।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक एफ14/एफसीए/उवसं/2022-23/9840 दिनांक 21.10.2022

महोदय,

उपरोक्त कार्य का भौतिक निरीक्षण आप द्वारा दिनांक 12.10.2022 को किया गया था तथा प्रासंगिक पत्रानुसार आप द्वारा वांछित सूचना के क्रम में निवेदन है कि

1. उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति Development of Highways under Rajasthan State Highway Investment Program (RSHIP) Trench-II के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा जारी की गई है। उपरोक्त हाईवे में किसी भी प्रकार का Bypass एवं Alternative alignment हेतु वित्तीय राशि स्वीकृत नहीं है। उपरोक्त हाईवे के वन क्षेत्र के निकलने वाले डिजाईन चैनेज 8/628 से 10/872 में वर्तमान में स्थित 7.00 मी. चौड़ी सड़क पर ही रिन्यूवल व ओवरले का कार्य किया जायेगा एवं डिजाईन चैनेज 17/647 से 18/509 में वर्तमान में स्थित 7.00 मी. चौड़ी सड़क पर ही पुनः निर्माण एवं ज्यामिती सुधार कार्य किया जायेगा। अतः Alternative route alignment की आवश्यकता नहीं है एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार Alternative route alignment का निर्माण कार्य भी संभव नहीं है।
2. उपरोक्त वर्णित कारणों से सड़क निर्माण से किसी भी प्रकार का मक जनरेट नहीं होगा। अतः मक निस्तारण योजना की आवश्यकता नहीं है। जिसका प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह कार्य एशियन डवलपमेंट बैंक से वित्तीय पोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने का श्रम करें। जिससे सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके एवं राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हो।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।




परियोजना निदेशक
(पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर

कार्यालय परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर

Name of Project:- Development of Beawar Masuda Goyala Road, Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72+400, in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha.

Proposal No.:- FP/RJ/ROAD/21332/2016

उप वन संरक्षण अजमेर के पत्रांक एफ14(0)एफसीए/उवसं/2022-23/9840

दिनांक 21.10.2022 की अनुपालना के क्रम में।

उपरोक्त पत्रांक में निर्देशित "The Route Alignment is in mountain area large scale cutting of rocks is involved so detail of muck disposal also to be enclosed" के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में सड़क निर्माण में कोई मक जनरेट नहीं होगा। अतः मक निस्तारण योजना की आवश्यकता नहीं है।

(सुविराज रेगर)
परियोजना निदेशक,
(पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर

दिनांक-02/05/23

क्रमांक:- एफ 11(95 अ)एफसीए/मुवस/2023/1539
निमित्त,

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:-Diversion of 4.9696 ha. forest land for Development of Bewar Masuda-
Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the
state of Rajasthan. FP/RJ/ROAD/21332/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण प्रस्ताव संख्या
FP/RJ/ROAD/21332/2016 की पार्ट II की उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा पूर्ति कर प्रकरण इस
कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके पार्ट-III एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ऑनलाईन पूर्ति कर
मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार मूल प्रस्ताव 3 हार्ड कॉपी में।

भवदीय

(विजय एन.)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

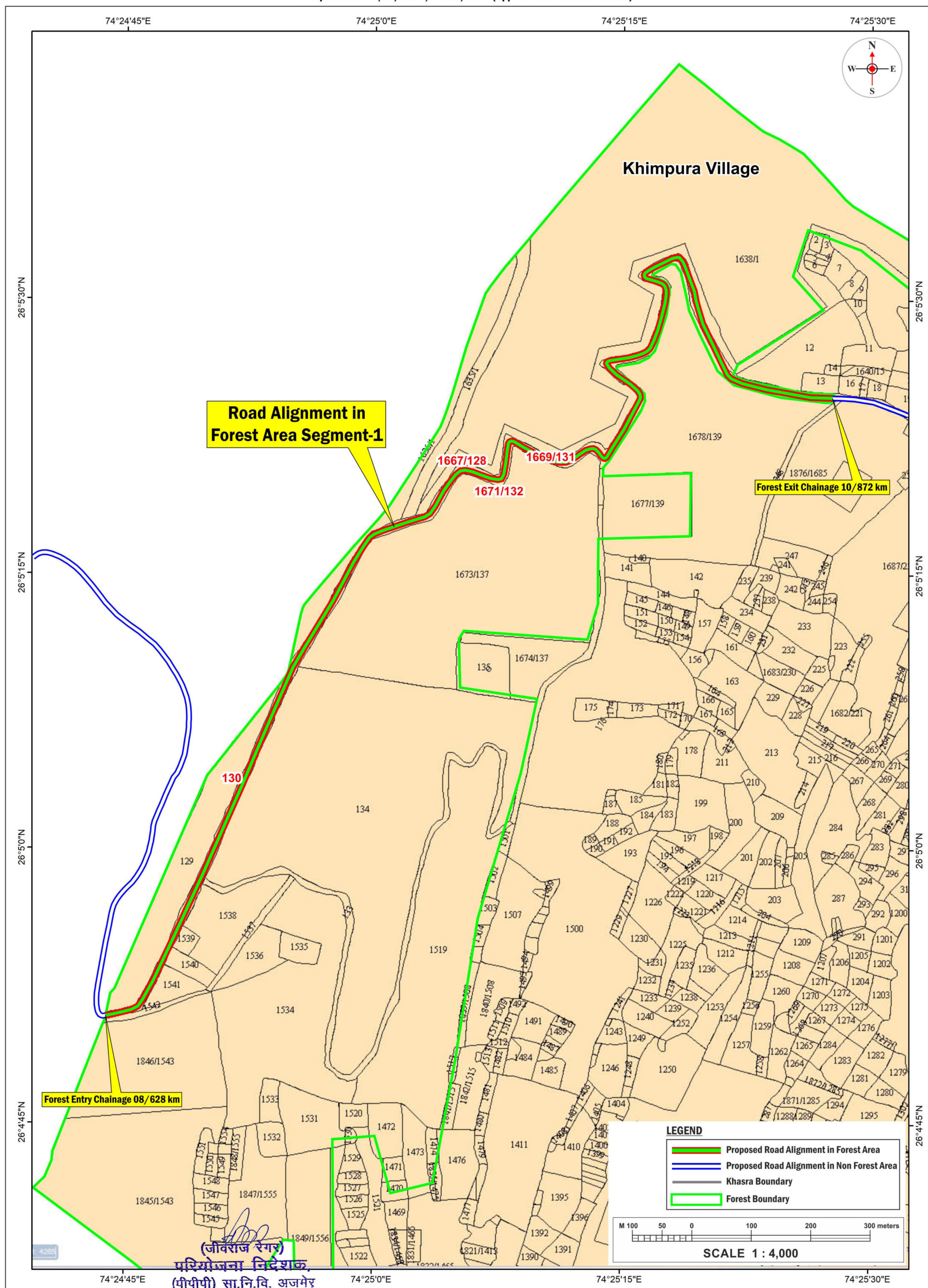
Signature valid

Digitally signed by N. V. Jai
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.05.02 16:55:04 IST
Reason: Approved

VILLAGE AND KHASRA WISE AREA CALCULATION SHEET				
KHIMPURA Village Khasra wise Forest Area Details				
S.No.	Status	Khasra No.	Area (Sq.m.)	Area (ha.)
1	Forest Land	130	5984	0.5984
2	Forest Land	1667/128	5984	0.5984
3	Forest Land	1669/131	11968	1.1968
4	Forest Land	1671/132	11968	1.1968
TOTAL			35904	3.5904
MASUDA-II Village Khasra wise Forest Area Details				
S.No.		Khasra No.	Area (Sq.m.)	Area (ha.)
1	Forest Land	3311	13792	1.3792
TOTAL			13792	1.3792
GRAND TOTAL				4.9696 Hectare


 (जीवराज रेगर)
 परियोजना निदेशक,
 (पीपीपी) सा.नि.वि. अजमेर

Name of Project : Development of Bewar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan
Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21332/2016 (Applied Area : 4.9696 Hectare)





जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- खीमपुरा
पटवार हल्का :- खीमपुरा
भू.अभि.नि. :- खीमपुरा
तहसील :- मसूदा
जिला :- अजमेर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2072 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 409
खाता संख्या पुराना :- 387

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण वन-विभाग,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
129	2.1843	पहाड़	2.1843		
130	0.2589	रास्ता	0.2589		
133	1.1083	रास्ता	1.1083		
134	13.3081	पहाड़	13.3081		
136	0.0081	चाह	0.0081		
1464	0.0405	बारानी 2	0.0405		
1469	0.1456	बारानी 3	0.1456		
1470	0.1375	बारानी 3	0.1375		
1471	0.1133	बारानी 3	0.1133		
1472	0.4126	बारानी 3	0.4126		
1473	0.4530	बरडा	0.4530		
1474	0.0890	बारानी 3	0.0890		
1519	6.3102	पहाड़	6.3102		
1520	0.1537	दांती	0.1537		
1525	0.1052	बारानी 3	0.1052		
1526	0.0971	बारानी 3	0.0971		
1527	0.0728	बारानी 2	0.0728		
1528	0.0971	बारानी 3	0.0971		
1529	0.1214	बारानी 3	0.1214		
1530	0.0405	बारानी 3	0.0405		
1531	0.8333	पहाड़	0.8333		
1532	0.2346	बारानी 3	0.2346		
1533	0.2103	बारानी 3	0.2103		
1534	5.4608	पहाड़	5.4608		
1536	0.4854	पहाड़	0.4854		
1537	0.1942	रास्ता	0.1942		
1538	1.2054	पहाड़	1.2054		
1539	0.1214	गै.कच्चा रास्ता	0.1214		
1540	0.2184	बारानी 3	0.2184		
1541	0.3074	नाला	0.3074		
1542	0.1214	रास्ता	0.1214		
1638/1	18.5908	पहाड़	18.5908		
1667/128	0.6472	रास्ता	0.6472		
1669/131	1.0113	रास्ता	1.0113		

(जीवराज रेगर)
परियोजना निदेशक,
(पीपीपी) सा.नि.वि. अजमेर



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- खीमपुरा
पटवार हल्का :- खीमपुरा
भू.अभि.नि. :- खीमपुरा
तहसील :- मसूदा
जिला :- अजमेर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2072 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 409
खाता संख्या पुराना :- 387

1671/132	0.9708	रास्ता	0.9708
1673/137	10.9862	पहाड़	10.9862
1675/138	0.0566	रास्ता	0.0566
1677/139	1.3753	पहाड़	1.3753
1831/1465	0.1052	पहाड़	0.1052
1833/1468	0.0809	बारानी 3	0.0809
1835/1475	0.0405	बारानी 3	0.0405
1839/1508	0.1375	पहाड़	0.1375
1841/1515	0.1294	पहाड़	0.1294
1843/1524	0.0890	बारानी 3	0.0890
1845/1543	6.5125	बरडा	6.5125
1847/1555	1.2135	बरडा	1.2135
1849/1556	1.8607	बरडा	1.8607

कुल खसरे - 47 78.4572 78.4572

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 27-Jun-2023

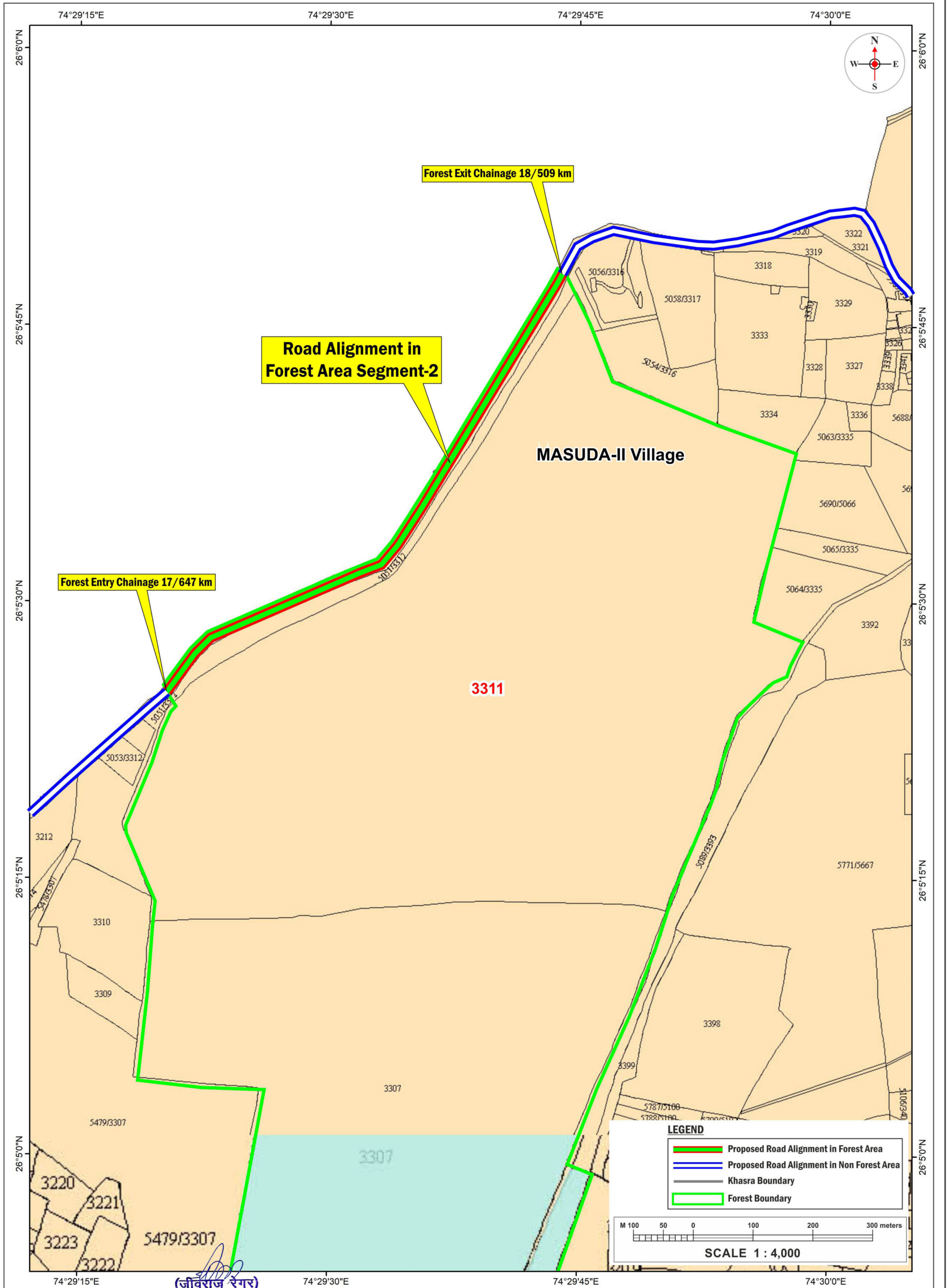



(जीवराज रेगर)
परियोजना निदेशक,
(पीपीपी) सा.नि.वि. अजमेर

KHASRA SHOWING ROAD ALIGNMENT IN FOREST AND NON FOREST AREA

Name of Project : Development of Bewar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the state of Rajasthan

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21332/2016 (Applied Area : 4.9696 Hectare)





जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- मसूदा द्वितीय
पटवार हल्का :- मसूदा द्वितीय
भू.अभि.नि. :- मसूदा
तहसील :- मसूदा
जिला :- अजमेर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2070 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 928
खाता संख्या पुराना :- 0

काश्तकार का नाम:-

1. राजकीय वन हिस्सा- पूर्ण वन-विभाग,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
3307	56.0394	पहाड़	56.0394		
3311	66.7587	बीड़	66.7587		
3448	120.1203	गै.मु.पहाड़	120.1203		
3449	51.0722	गै.मु.पहाड़	51.0722		
3459	53.1918	गै.मु.पहाड़	53.1918		
3460	55.2304	गै.मु.पहाड़	55.2304		
4529/3448	9.8132	गै.मु.पहाड़	9.8132		
5048/3306	0.9061	गै.मु.टेगरी	0.9061		
5090/3393	4.2877	गै.मु.पहाड़ी	4.2877		
5132/3443	10.0640	गै.मु.पहाड़ी	10.0640		
कुल खसरे - 10	427.4838		427.4838		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 27-Jun-2023



(जीविराज रेगर)
परियोजना निदेशक,
(पीपीपी) सा.नि.वि. अजमेर

Deputy Conservator of Forest, Ajmer (Rajasthan)

DETAILS OF AMOUNT OF NPV TO BE DEPOSITED

Full Title of the Project: "Development of Beawar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, District Ajmer, Rajasthan".

File No. : FP/RJ/ROAD/21332/2016

Forest Land Proposed For Diversion: 4.9696 ha.

Date of Proposal: 19/09/2022

As per the Order dated 06/01/2022, MoEF, Government of India Rates for NPV ECO Class-III (Open Forest) is Rs. 9, 57, 780/- Per Hectare, Hence Total NPV Amount for Proposed diversion for Development of Beawar Masuda- Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, District Ajmer, Rajasthan (FP/RJ/ROAD/21332/2016) under Ajmer territorial will be:

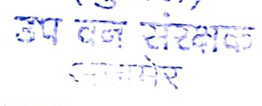
4.9696 x Rs. 9, 57,780/- = **Rs. 47,59,783/-** (Forty Seven Lakh Fifty Nine Thousand, Seven Hundred Eighty Three Rupees Only).

Place : Ajmer

(Signature)

Date : 12/01/2023

Name 

Designation 

Official Seal.....